

मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी

एम.ए.सी.पी. संख्या ३३७/२०१९,

बलवीर उम्र करीब ३२ वर्ष पुत्र श्री रज्जन निवासी ग्राम मदरवास थाना टोड़ीफतेहपुर तहसील मऊरानीपुर जिला झाँसी

-----याचिया

प्रति

१. मनोज कुमार पुत्र श्री बालमुकंद निवासी उत्तरी कटरा वार्ड नं. १४ मेन रोड कस्बा व थाना गुरसरांय जिला झाँसी

.....मालिक कार फियेस्टा नं. यू.पी. ७८बी सी २२२३

२. मोहन लाल पुत्र श्री हरीशंकर चौरसिया निवासी कटरा बाजार गुरसरांय जिला झाँसी

.....चालक कार फियेस्टा नं. यू.पी. ७८बी सी २२२३

३. भारती एक्सा जनरल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड शाहनजफ रोड हजरत गंज लखनऊ, जरिए प्रबन्धक

.....बीमा कम्पनी कार फियेस्टा नं. यू.पी. ७८बी सी २२२३

-----विपक्षीगण

याची के अधिवक्ता- श्री इन्द्रपाल सिंह

विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी के अधिवक्ता- श्री सुनील शुक्ला

०४.०१.२०२०

पत्रावली में पेश हुयी। याची बलवीर व विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी मय विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित। प्रस्तुत याचिका याची बलवीर द्वारा विपक्षीगण के विरुद्ध कथित मोटर दुर्घटना में स्वयं को आई चोटों के कारण ₹५,००० प्रतिकर धनराशि दिलाए जाने हेतु प्रस्तुत की गयी है। याची एवं विपक्षी सं. ३ भारती एक्सा जनरल इश्योरेंस कं. लि. की ओर से १९बी सुलहनामा दाखिल किया गया है, जो आज उनके विद्वान अधिवक्तागण की उपस्थिति में तस्दीक किया गया।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को १९बी सुलहनामा पर सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। याची व विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी के मध्य हुआ सुलहनामा १९बी उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की उपस्थिति में तस्दीक किया गया है, जिसकी पुष्टि उभय पक्ष द्वारा की गई है। १९बी सुलहनामा के अनुसार विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी क्षतिपूर्ति के रूप में ₹ २५,००० याची को सम्पूर्ण सन्तुष्टि पर अदा करेगी। याची सुलहनामा १९बी में दर्शित कुल ₹ २५,००० प्रतिकर के रूप में लेने हेतु सहमत है, जिसे विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी याची को देने हेतु तैयार हैं। अतः याचिका सुलहनामा १९बी के अनुसार पूर्ण सन्तुष्टि में निर्णीत किये जाने योग्य है।

आदेश

याची की याचिका सुलहनामा १९बी के अनुसार निर्णीत की जाती है। सुलहनामा १९बी इस आदेश का भाग रहेगा। विपक्षी सं. ३ भारती एक्सा जनरल इश्योरेंस कं. लि. को आदेशित किया जाता है कि वह याची को इस निर्णय/आदेश के दिनांक से ३० दिन के अन्दर प्रतिकर की धनराशि ₹ २५,००० भुगतान करने हेतु मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी के सिंडीकेट बैंक शाखा, गोविन्द चौराहा झाँसी के खाता सं. ९२३५२० १०००८५६० आई.एफ.एस.सी. SYNB ०००९२३५ में आर.टी.जी. एस./नेफ्ट के माध्यम से कर दे। धनराशि अन्तरण में याचिका संख्या, नाम बनाम का उल्लेख किया जाएगा तथा ट्रांजैक्शन नं. मय याचिका संख्या व नाम बनाम की सूचना न्यायाधिकरण को ईमेल po-mact.jh@up.gov.in पर भेजी जाएगी। उक्त प्रतिकर की धनराशि याची बलवीर अपने बैंक खाते में आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के माध्यम से नकद प्राप्त कर सकेगा। तदनुसार एवार्ड तैयार हो। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(चंद्रोदय कुमार)

पीठासीन अधिकारी

मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी